2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज हरीसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 219/2019**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.12.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरीसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपुरोहित गावं चांवडा तहसील जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.10.2019 में उसके द्वारा (1) ग्राम चावंडा में चावण्डा माताजी का मंदिर किस खसरा में बना हुआ है यह खसरा किस के खाता में है गांव चावण्डा में चावण्डा माताजी के नाम कितनी जमीन हैं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2020.02.17 18:34:53 IST
Reason: SelfAttested